

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
राजस्व प्रार्थनापत्र (2021/385)

गणेशलाल उर्फ लालाराम पुत्र भैरु जाति माली निवासी नयागांव मालियान तहसील सावर जिला अजमेर
—-प्रार्थी

◆ वनाम ◆

राजस्थानसरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सावर जिला अजमेर

—- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम
आदेश

दिनांक 23.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प मेंहरुकंला तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।
प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम नयागांव की जमाबन्दी संवत 2071-74 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:-

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
256-246	942	0.97	चाही 3
255-243	38	0.58	बारानी उ.
	39	0.34	बारानी उ.
	97	0.78	बारानी उ.
	366	0.31	चाही उ.
	366/1282	0.25	चाही उ
	537	0.39	चाही उ
	541	0.19	चाही उ
	559	0.01	गै.मु.चाह
	560	0.34	चाही उ.
	561	0.18	चाही उ.
	576	0.02	गै.मु.वाडा
	कुल किता 11	3.39	

उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/25 हिस्सा दर्ज जो लाला पुत्र भैरु के नाम से दर्ज है। प्रार्थी को परिवारजन प्रेम प्यार से लालाराम कहते थे इसलिए मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 256 में लालाराम पुत्र भैरु एवं खाता संख्या 255 में लाला पुत्र भैरु दर्ज हो गया जबकि मुझ प्रार्थी का नाम दस्तावेज आधारकार्ड, पेनकार्ड, अध्ययन प्रमाण पत्र, टी.सी., वोटर आई.डी. में गणेश लाल पुत्र भैरु लाल है। इसलिए मुझ प्रार्थी को कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में लालाराम पुत्र भैरु व लाला पुत्र भैरु के स्थान पर गणेशलाल उर्फ लालाराम पुत्र भैरु किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक



उपखण्ड अधि
केकडी (अजमेर)




है। अपने कथन के समर्थन में सहखातेदारों का शपथपत्र नोटेरीपब्लिक से तस्दीक करवाकर ग्राम पंचायत सदारी के सरपंच का प्रमाण पत्र मुझ प्रार्थी का शपथपत्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर व टी.सी. प्रमाणपत्र, पेनकार्ड, आधारकार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करने का निवेदन किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सावर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सावर ने पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरी. की रिपोर्ट के आधार पर एवं संलग्न दस्तावेज के अनुसार एवं गांव के मुख्य मोतविरान से प्राप्त जानकारी अनुसार लाला, लालाराम एवं गणेशलाल माली एक ही व्यक्ति है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पेरोकार के जवाब का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार को सुना। ग्राम नयागांव (मेहरूकला) खाता संख्या नम्बर 256, 255 में दर्ज लालाराम पुत्र भैरू तथा लाला पुत्र भैरू के स्थान पर दस्तावेज आधारकार्ड, पेनकार्ड, अध्ययन प्रमाण पत्र, टी.सी., वोटर आई.डी. तथा तहसीलदार सावर की रिपोर्ट के अनुसार गणेशलाल उर्फ लालाराम पुत्र भैरू दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिक्तेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 23.11.2021 को कैंप मेहरूकला मजमे आम मे सुनाया गया।




(विकास पंचोली)
सुपरीवेड अभिलेख
केवडी (अजमेर)